A few minutes before, HRD Minister was present here while replying to a question on education, the hon. Human Resource Development Minister, Mr. Madhavrao Scindia, said that we should give some new light for the development of education for women. I appreciate his idea. If he really means it if he really wants to implement it, then, most of the problems being faced by women in this country can be solved.

Thank you very much for giving me this opportunity to make this Special Mention.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Thank you very much, Shrimati Mira Das Shri S. S. Surjewala. Absent. Shri S. Austin. Absent Shri Ramji Lal.

PRIVATISATION OF CHARKHI-DADRI CEMENT UNIT OF CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED

श्री रामजी लाल (हरियाणा) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि चरखी-दादरी सीमेंट यूनिट, जो हरियाणा में है और जो भारतीय सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया के अंतर्गत आता है ... (**व्यवधान**) ...

SHRI MD. SALIM (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, how long are we going to sit?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Only for Special Mentions. We have one more Special Mention. That's all.

SHRI MD. SALIM: What is the use of making a Special Mention when there is no Cabinet Minister sitting here? For the whole week, we have been discussing this matter that unless a Cabinet Minister is present in the House, it would be meaningless to make a Special Mention.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Mr. Salim, such serious issues are never raised during the time of Special Mentions.

SHRI MD. SALIM: Mr. Vice-Chairman, there was a direction from the Chair. ... (*Interruptions*) ...

SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh): Who is here? ... (*Interruptions*) ... The Leader of the Opposition is not here. Every time you don't try to make. ... (*Interruptions*)

SHRI MD. SALIM: We make these Special Mentions to bring to the notice of the Government, through you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): By raising this question, you have brought it to the notice of the whole world. Your objection will naturally go to the Press.

SHRI MD. SALIM: The Chairman has given his direction and the Deputy Chairman has given her direction repeatedly that there should be some Cabinet Minister present here while we are discussing an issue.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Mr. Madhavrao Scindia was here short while ago when you were out and when you are in, he has gone out.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT) (SHRIMATI BASAVA RAJESHWARI): Mr. Vice-Chairman, Sir, when Shrimati Mira Das was making her Special Mention regarding atrocities against women, I was listing to her.

SHRIMATI MIRA DAS: Madam, I am sorry. I could not notice that you were present in the House.

श्री रामजीलाल : मैं यह कह रहा था कि चरखी-दादरी सीमेंट यूनिट जो भारतीय सीमेंट निगम के अन्तर्गत आती

है, को राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा जून 1981 में सी.सी.आई. ने टेक ओवर किया था । 1981 से 1987 तक 42 करोड़ का प्रोफिट इसने अर्न किया । चरखी-दादरी यूनिट में 1987 से 1995 तक साढ़े तीन करोड़ का घाटा रहा है । यह कम्पनी सिक नहीं है । ऐसा मिस-मैनेजमेंट के कारण हुआ है । इस यूनिट की क्षमता 500 टन सीमेंट प्रतिदिन उत्पादन की है । इसके बारे में दिनांक 13-4-95 के समाचार-पत्र आब्जर्वर में समाचार छपा है कि सी.सी. आई. की यह यूनिट बंद कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ ग्रुप आफ मिनिस्टर्स ने फैसला किया है । परन्तु किसी कम्पनी को सिक घोषित करने के लिए पहल मामला बी.आई.एफ.आर. रा कंसीडर किया जाना चाहिए था । अगर इसे बंद करने का फैसला लेते हैं तो इससे 1000 वर्कर्स जिसमें केज्युअल लेबर्स और कांट्रेक्ट लेबर्स भी शामिल है, सभी बेरोजगार हो जाएंगे । मैं यह कहना चाहूंगा कि ग्रुप आफ मिनिस्टर्स के फैसले को बदलकर यदि समाचार पत्र की यह खबर सही है, तो इस यूनिट को सेंट्रल गवर्नमेंट रिवाइवल करे और इसको बचाया जाए ताकि यह लेबर बेरोजगार न हो । धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Shri Kanaksinh Mohansinh Mangrola. Absent Smt. Veena Verma.

Child Marriages in Rajasthan

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आभारी हूं । अभी मेरे माननीय साथी ने महिलाओं के बारे में एक मुद्दा उठाया, मैं भी उससे अपने आपको सम्बद्ध करते हुए दूसरा मुद्दा जो कि अहम् मुद्दा है, उठाना चाहती हूं । देश में एक शारदा एक्ट बना है । उसका उल्लंघन करते हुए अंधविश्वासों के चलते सामाजिक रूढ़िवादिताओं के चलते "अक्षय तीज" एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हजारों की संख्या में नाबालिग बच्चों की शादियां कर दी जाती हैं । इस वर्ष भी यह दिन दो मई को था और सबसे ज्यादा नाबालिग बच्चों दूध पीते बच्चों की शादियां राजस्थान में हो गई । वैसे तो इस तरह की शादियां शारदा एक्ट का उल्लघन करते हुए ज्यादातर हिन्दी भाषी राज्यों में होती हैं । लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा यह शादियां हुई । मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की शादियां रिकार्ड की गई हैं ।

पिछले वर्ष जब पंचायतों का चुनाव हुआ था तो सरपंचों ने यह आश्वासन दिया था कि वे चाइल्ड मेरिजेज को रोकने की कोशिश करेंगे और अपनी तरफ से कोई बढ़ावा नहीं देंगे । लकिन राजस्थान में इस तरह की अपील को ठुकरा दिया गया और वहां पर पुलिस भी चाइल्ड मेरिजेज को रोकने में कोई कारगर साबित नहीं हो पाई ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) : लेकिन नान-गवर्नमेंटल आर्गनाइजेशन और आफिशियल लेविल पर काफी प्रयास किया गया है राजस्थान में और इसलिए इस बार पुराने जमाने के मुकाबले काफी कम हुई है । मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता कि पुलिस के माध्यम से चाइल्ड मेरिजेज रुक सकती हैं ।

श्रीमती वीणा वर्मा : उपसभाध्यक्ष महोदय आपका कहना बिल्कुल सही है ।

उपसभाध्यक्ष : (श्री सतीश अग्रवाल) राजस्थान का एक अनुभव शायद आपको मालूम नहीं है । वहां डेथ फोस्ट-मृत्यु भोजों पर पाबंदी लगी हुई थी । राजस्थान में करौली के आसपास ऐसे मृत्यु भोज हो रहे थे । पुलिस पहुंच गई एस.डी.एम. पहुंच गए । लेकिन गांव के लोगों ने उन सबको बाड़े में बन्द करके आग लगा कर उनको जिंदा जला दिया । तो यह कभी-कभी पुलिस का जो इटरवेंशन है इन सच सोशल एविल्स, यह डिजायरेबिल नहीं होता । इसके रिजल्ट बहुत खराब निकलते हैं । इसलिए यह तो अवेयरनैस से ही होगा ।